<u>न्यायालयः</u>— साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला—अशोकनगर (म.प्र.)

<u>दांडिक प्रकरण कं.—443 / 11</u> संस्थापित दिनांक—22.09.2011

मध्यप्रदेश रा आरक्षी केन्द्र	ज्य द्वारा :– चंदेरी जिला	⁻ अशोकनग	र। 	आ	भेयोजन
	ि	वेरुद्ध			
2— देशराज3— शोभाराग	द्र पुत्र श्रीपत पुत्र श्रीपत 1 पुत्र श्रीपत ग्रम सकबारा	उम्र 38 साट उम्र 35 सा	ਜ ল		
				3	भारोपीगण
राज्य द्वारा आरोपीगण	द्वारा	:– श्री सुर्द :– श्री आव	ोप शर्मा नोक चौ	, ए.डी.र्प रसिया र	गो.ओ. । अधिवक्ता ।

-: <u>निर्णय</u>:-

(आज दिनांक 17.02.2017 को घोषित)

- 01— आरोपीगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 294, 323/34 दोबार, 354 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कर आरोप है कि दिनांक 04.05.2011 को समय सुबह 11 बजे ग्राम सकवारा में फरियादिया, आहतगण को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उन्हें व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं राजेन्द्र एवं तुलसीराम के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की तथा फरियादी धनकुंवर जो कि एक स्त्री है उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उसका सीना दबाकर आपराधिक बल का प्रयोग कर लज्जा भंग की।
- 02— प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि दिनांक 17.02.2017 को फरियादिया धनकुअरबाई, आहतगण राजेन्द्र, तुलसीराम एवं अभियुक्तगण के मध्य राजीनामा हो जाने से अभियुक्तगण दुलीचन्द्र, देशराज, शोभाराम को भा.द.वि की धारा 294, 323/34 दोबार, के आरोप से दोषमुक्त किया गया तथा यह निर्णय आरोपी शोभाराम के संबंध में पारित किया जा रहा है।

//2//दाण्डिक प्रकरण कमांक-443/11

03— अभियोजन का पक्ष संक्षेप मे है कि फरियादिया धनकुअर बाई ने अपने जेठ गोपाल तथा राजेन्द्र के साथ थाना चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 04.05.2011 को सुबह करीब 7 बजे अपने आम रखाने गई थी कि उनके समाज का शोभाराम आया और उसके साथ बुरा काम करने की नियत से उसे पीछे से पकडा तथा उसकी छाती दवा दी। वह चिल्लाई तो राजेन्द्र आ गया गया। राजेन्द्र चिल्लाया तो उसकी लात घूसो से मारपीट की, मुंदी चोटे आई। फिर उसने घर पर जाकर घरवालो को बताया तो घर के लोग शोभाराम के पास पहूँचे तो शोभाराम, दुलीचन्द्र, देशराज ने उन्हें मां बहन की बुरी—बुरी गालियां दी, बीच बचाव करने तुलसीराम आये तो देशराज ने उसको पत्थर मारा जो पीठ में लगा। घटना सल्लू हरिजन ने देखी है। पुलिस ने अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपीगण को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04— अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई तथ्य व परिस्थिति प्रकट न होने से अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया तथा अभियुक्तगण की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— राजीनामा उपरांत प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :-

1. क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक दिनांक 04.05.2011 को समय सुबह 11 बजे ग्राम सकवारा में फरियादिया धनकुंअर बाई जो कि एक स्त्री है उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उसका सीना दबाकर आपराधिक बल का प्रयोग कर लज्जा भंग की ?

: : सकारण निष्कर्ष : :

06— अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। धनकुअरबाई अ०सा०१ ने उसके न्यायालयीन कथनो में बताया कि वह न्यायालय उपस्थित आरोपीगण को जानती है। घटना करीब 5—6 साल पहले की होकर सुबह 7—8 बजे की है। घटना दिनांक को वह अपने खेत पर आम रखा रही थी तभी वहां पर हमारे गाँव का शोभाराम आया और उसने आम देने को कहा। उसने शोभाराम को आम देने से मना किया तो वह उससे झगडने लगा। झगडे की आवाज सुनकर राजेन्द्र आ गया तो राजेन्द्र की शोभाराम से धक्का मुक्की हो गई थी जिससे राजेन्द्र गिर गया और उसे चोट आ गई थी। घटना के संबंध में जब वह तथा उसके घर के लोग शोभाराम के घर शिकायत करने गये तो आरोपी दुलीचन्द्र, देशराज और शोभाराम उनसे झगडने लगे। तुलसीराम ने बीच बचाव किया

तो धक्का लगने से तुलसीराम को भी चोट आ गई थी। इसके अलावा और कोई घ ाटना आरोपीगण ने उनके साथ कारित नहीं की थी। उक्त घटना के संबंध में साक्षियां ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने राजेन्द्र और तुलसीराम का मेडिकल कराया था। पुलिस घटना स्थल पर आई थी घटना स्थल का नक्शामौका बनाया था। पुलिस ने मुझसे पूछताछ की थी फिर उसने आरोपीगण से झगडे बाली बात पुलिस को बताई थी।

- 07— अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि घटना वाले दिन शोभाराम उसके पास आया और बुरी नियत से पीछे से उसकी कुआरी भर ली तथा उसकी छाती दबाने लगा। इस बात से इंकार किया कि शोभाराम ने राजेन्द्र की लात घुसों से मारपीट की थी। साक्षिया को उसकी पुलिस रिपोर्ट प्र.पी. 1 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाने पर साक्षिया का कहना है कि ऐसी रिपोर्ट लेख नहीं कराई थी पुलिस ने कैसे लेख कर ली कारण नहीं बता सकती। स्वतः कहा वह पढ़ी लिखी नहीं है, उसने सिर्फ आरोपीगण से झगड़े के बारे में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी। साक्षियां को उसका पुलिस कथन प्र.पी. 2 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाने पर साक्षिया का कहना है कि ऐसा कथन पुलिस को नहीं दिया था पुलिस ने कैसे लेख कर लिया कारण नहीं बता सकता। इस बात स्वीकार किया था पुलिस ने कैसे लेख कर लिया कारण नहीं बता सकता। इस बात स्वीकार किया कि उसका, राजेन्द्र एवं तुलसीराम का आरोपीगण से स्वेच्छया राजीनामा हो गया है। अभियोजन के इस सुझाब से इंकार किया कि राजीनामा हो जाने के कारण आरोपीगण को बचाने के लिये असत्य कथन कर रही है।
- 08— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत राजेन्द्र अ0सा02 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना दिनांक को वह हैन्ड पम्प पर मुंह हाथ धो रहा था, तभी धनकुअरबाई की आवाज आई तो उसने देखा कि शोभाराम एवं धनकुअरबाई की आम को लेकर झगडा हो रहा था। मैने समझाने का प्रयास किया तो शोभाराम धक्का देकर भाग गया। तुलसीराम अ0सा0 3 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि राजेन्द्र ने शोभाराम एवं धनकुअर बाई के बीच आम को लेकर झगडे की बात बताई थी। इस संबंध में वह, धनकुअरबाई और राजेन्द्र शोभाराम को समझाने उसके घर गये तो धक्का लगने से उसे चोट आ गई थी।
- 09— अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी राजेन्द्र अ0सा02, तुलसीराम अ0सा03 से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने इस बात से इंकार किया कि शोभाराम ने धनकुअरबाई को बुरी नियत से पकड़ा था और छाती दबाई थी। उक्त साक्षीगण ने इस बात से भी इंकार किया कि आरोपीगण ने उनके साथ मारपीट की थी। उक्त साक्षीगण ने इस बात को स्वीकार किया कि उनका आरोपीगण से स्वेच्छया राजीनामा हो गया है। अभियोजन के इस सुझाब से इंकार किया कि राजीनामा हो जाने के कारण आरोपीगण को बचाने के लिये वे न्यायालय में असत्य कथन कर रहे है।
- 10— धनकुअरबाई अ०सा०1 जोकि प्रकरण में स्वयं पीडित है एवं आहतगण राजेन्द्र

//4//दाण्डिक प्रकरण कमांक-443/11

अ0सा02 एवं तुलसीराम अ0सा03 ने अभियोजन की घटना का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया है बल्कि उसके न्यायालयिन कथनो में व्यक्त किया कि आरोपीगण से उनका झगडा हो गया था एवं स्वयं पीडित धनकुअरबाई ने उसके मुख्य परीक्षण में इस बात से इंकार किया है कि शोभाराम ने बुरी नियत से उसको पकड लिया था और छाती दबा दी थी।

- 11— उपरोक्त संपूर्ण विश्लेषण में आई साक्ष्य से अभियोजन अभियुक्त शोभाराम के विरूद्ध आरोपो को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 04.05.2011 को समय सुबह 11 बजे ग्राम सकवारा में फरियादिया धनकुंअर बाई जो कि एक स्त्री है उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उसका सीना दबाकर आपराधिक बल का प्रयोग कर लज्जा भंग की। अतः अभियुक्त शोभाराम निवासी— ग्राम सकबारा तहसील चंदेरी जिला—अशोकनगर म0प्र0 को भा.द.वि. की धारा 354 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 12— अभियुक्तगण द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।
- 13- प्रकरण के निराकरण हेतु कोई मुद्देमान विद्यमान नहीं है।
- 14- अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर हस्ताक्षरित,दिनांकित किया गया। मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0 साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0